Seventeenth Series, Vol. XXV No.05

Wednesday, July 26, 2023
Sravana 04, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXV contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 05, Wednesday, July 26, 2023/ Sravana 04, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Homage to Martyres of the Kargil War on the 24th Anniversary of Kargil Vijay Diwas	12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 81 to 83	14-19
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 84 to 100	20-115
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	116-737

PAPERS LAID ON THE TABLE 738-747

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA 748-749

STATEMENTS BY MINISTERS 750-758, 770

(i)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 126th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 750

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 127th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 751

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 367th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology 752

(d) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 369th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 361st Report of the Committee on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology 753

(e) Status of implementation of the recommendations contained in the 374th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology 754

(f) Status of implementation of the recommendations contained in the 375th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology

Dr. Jitendra Singh 755

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2023- 2024) pertaining to the Ministry of Railways

Shri Danve Raosaheb Dadarao 770

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Development of Manmade Fibre' pertaining to the Ministry of Textiles

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 756

(iv)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 172nd Report of the Standing Committee on Commerce on 'Promotion and Regulation of E-Commerce in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry 757

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 175th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 168th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

Shri Som Parkash 758

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS 759

GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED 760-769

(i) Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2023 760-761

(ii) Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 762

(iii)	Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023	763-764
(iv)	Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Bill, 2023.	765
(v)	Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 2023	766
(vi)	Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023	767-769

MATTERS UNDER RULE 377 772-795

(i)	Need to set up Ahir Regiment in Army **Shri Krishnapalsingh Yadav**	772
(ii)	Need to construct dam at Panchal Ghat and Dhai Ghat on river Ganga in Farrukhabad Parliamentary Constituency **Shri Mukesh Rajput**	773
(iii)	Need to establish a medical college in Jhabua Parliamentary Constituency **Er. Guman Singh Damor**	7774
(iv)	Need to provide railway level crossings or underpasses in Jorhat Parliamentary Constituency **Shri Topon Kumar Gogoi**	775
(v)	Need to provide compensation to farmers of border areas in Jammu Parliamentary Constituency **Shri Jugal Kishore Sharma**	776
(vi)	Need to include ‘Kamlapuri Vaishya’ caste in the central list of Backward Classes **Shrimati Rama Devi**	777

(vii) Need to check harassment of people by money lenders
Shri Subhash Chandra Baheria 778

(viii) Regarding establishment of a medical college in Aurangabad, Bihar
Shri Sushil Kumar Singh 779

(ix) Need to take legal action against clubs and hotels not permitting people wearing Indian attire
Shrimati Keshari Devi Patel 780

(x) Regarding opening of portal for Fasal Bima Yojana in Chhattisgarh
Shri Chunnilal Sahu 781

(xi) Need to include Hatyaharan religious place under 'Ramayana Circuit'
Shri Ashok Kumar Rawat 782

(xii) Need to introduce a Vande Bharat Train Service between Gorakhpur and New Delhi
Shri Ravi Kishan 783

(xiii) Regarding removal of unauthorized advertisement hoardings on National Highways
Shri Rajendra Agrawal 784

(xiv) Need to connect Ringas - Khatu Shyam ji – Salasar-Sujangarh through railway line
Shri Rahul Kaswan 785

(xv) Regarding inclusion of 13 panchayats in Coastal Regulation Zone (CRZ) in Ernakulam Parliamentary Constituency

Shri Hibi Eden 786

(xvi) Regarding reconnaissance Engineering-cum-Traffic survey for Erode (Ingur) – Palani New BG line.

Shri A. Ganeshamurthi 787

(xvii) Regarding grant of a financial relief package in flood affected Arambagh Parliamentary Constituency

Shrimati Aparupa Poddar 788

(xviii) Need to identify the viability of utilizing the Mannavaram Zone for Semiconductor Manufacturing

Shri Maddila Gurumoorthy 789

(xix) Need to sanction funds under Blue Revolution Scheme

Shri Gajanan Kirtikar 790

(xx) Need to bring back Rampurva Bull and Lion Statue currently placed at Rashtrapati Bhawan and Victoria Memorial respectively to Rampurva, Bihar

Shri Sunil Kumar 791

(xxi) Regarding CSR activities of public and private sector companies in Odisha

Shri Mahesh Sahoo 792

(xxii) Need to take stringent action against people perpetrating atrocities on SCs

Shri Girish Chandra 793

(xxiii) Regarding setting up of a plant for advanced canning factory for preservation of coconut products and warehouse with preservation facility for vegetables and chillies in Ramanathapuram Parliamentary Constituency

Shri K. Navaskani 794

(xxiv) Need to restore railway concession and other facilities to accredited press correspondents

Shri Jayadev Galla 795

FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023
As Reported By Joint Committee

Motion to Consider	796
Shri Bhupender Yadav	796, 807-812
Sushri Diya Kumari	796-798
Shri Bellana Chandra Sekhar	799-801
Shri Raju Bista	802-804
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	806-807
Clauses 2 to 6 and 1	815-816
Motion to Pass	816

*<u>**ANNEXURE – I**</u>

Member-wise Index to Starred Questions 792

Member-wise Index to Unstarred Questions 793-799

<u>*ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions 800

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 801

* Available in Master copy of Debate, placed in Library

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 26, 2023/ Sravana 04, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER

Homage to Martyres of the Kargil War on the
24th Anniversary of Kargil Vijay Diwas

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है।

इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की। यह सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के शौर्य और बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

अब यह सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं।

11.01½ hrs

The Members then stood in silence for short while.

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति: ।

11.03 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 81, श्री मलूक नागर

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप समझदार हैं, आप अनुभवी नेता हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसको 12 बजे लिया जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इतने अनुभवी नेता होकर संसद में इस तरीके की बात करते हैं। आप अपने सदस्यों को समझाइए। यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

11.03½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 81, श्री मलूक नागर

(Q.81)

श्री मलूक नागर : अध्यक्ष महोदय, जो पहला प्रश्न है, वह मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। क्या ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं? जूट की खेती मणिपुर में भी होती है, ओडिशा में भी होती है, बिहार में भी होती है। … (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट होकर जो पैसा देश में आया, उसमें से कितना पैसा किसानों को इन्सेन्टिव के रूप में दिया जा रहा है। … (व्यवधान) जूट की खेती की नई टेक्नोलॉजी से पूरे देश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। विश्व स्तरीय आईटीपीओ एग्जीबिशन सेंटर की ओपनिंग आज प्रधानमंत्री जी करने गए थे। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हमने कर्तव्य काल का निर्माण किया है। इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। … (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जिन किसानों की बात ये कर रहे हैं, सरकार किसानों को सम्मान निधि के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा जमा करने वाले हैं। इस बार एमएसपी के माध्यम से जूट किसानों को पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि तय की गई है। … (व्यवधान) इसके साथ एक्सपोर्ट की बात भी की गई है। आज एग्जीबिशन सेंटर बना है, जूट रिलेटेड ग्लोबल इमेज में जूट को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नीकल टेक्सटाइल का उपयोग हो या उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें बनती हैं। उनके प्रमोशन के

लिए ट्रेनिंग सैंटर से लेकर खेती तक कैसे बदलाव आए और नई तकनीक की तरह से खेती हो सके। ... (व्यवधान)

मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूं कि अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बताया है कि सबसे ज्यादा जूट मिल्स वैस्ट बंगाल में हैं। वैस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं, अगर सरकार ने चीनी और पैडी के लिए जूट बैग को सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। ... (व्यवधान) सरकार से उनको सहयोग मिलता है, लेकिन इसमें भी परेशानी है क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने न ही नई मिल को अपग्रेड किया और न ही कोई टेक्नोलॉजी अपनाई ताकि गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए। इसके लिए उनको सोचना चाहिए। हमें सीड से लेकर हर चीज को देखना पड़ा कि कैसे एक हेक्टेयर के अंदर सबसे ज्यादा खेती हो, ट्रेनिंग हो, मार्केट लिंकेज हो। मार्केट लिंकेज के साथ एक्सपोर्ट तक की चीजें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, आज तक का सबसे ज्यादा जूट का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल हुआ है, जो कि 76 लाख बेल की तुलना में वर्ष 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया। वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपये की अधिक छूट खाद्यान्न पदार्थों के लिए दी जाती है।... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न यह था कि जूट का एक्सपोर्ट होता है और जूट की खेती बढ़ाने के लिए सरकार इन्सेंटिव देती है। सरकार ने किसानों को इन्सेंटिव के रूप में क्या दिया है? ... (व्यवधान)

दूसरा प्रश्न, पूरे देश में जूट की खेती और खासकर मणिपुर में, जिससे वहां ज्यादा पैसा जाए और झगड़े बंद हो जाएं, ... (व्यवधान) सरकार झगड़ों को कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से मजबूत करे, ... (व्यवधान) इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ... (व्यवधान)

तीसरा प्रश्न, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? … (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों की बालिकाओं के लिए दसवीं कक्षा की परीक्षा पास करने पर 5,000 रुपये और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने पर 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। … (व्यवधान) सरकार ने वर्ष 2021, वर्ष 2023 के दौरान 8200 बालिकाओं को 7,000 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की है। इसके अलावा टेक्नीकल प्रशिक्षण के लिए और नार्थ-ईस्ट में टैक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत इन्सेंटिव दिए हैं। … (व्यवधान) जिसकी चर्चा पूरे ग्लोबल में होती है, जब भी माननीय प्रधान मंत्री विदेश जाते हैं। … (व्यवधान) पीएलआई स्कीम के माध्यम से, प्रोडक्शन मिल की स्कीम के माध्यम हम लोगों ने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। हम भोपाल मोदी सपोर्ट के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से एग्जिबिशन के लिए सपोर्ट देते हैं। 7,000 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के साथ जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने तय किया है कि हम जूट को ग्रीन एन्वायर्नमेंट में आगे बढ़ाते हुए सहयोग प्रदान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 82. श्री अरविंद सावंत।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी

… (व्यवधान)

(Q.82)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: The Statement is laid on the Table. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 83, श्री अशोक कुमार रावत I

… (व्यवधान)

(Q. 83)

श्री अशोक कुमार रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल समपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है लेकिन इसके निर्माण कार्य में काफी विलंब हो रहा है। मैं इस विषय में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में तीन लैवल क्रासिंग्स हैं। लैवल क्रॉसिंग नंबर 247, 248 और 249 सैंडिला स्टेशन के आसपास हैं। एलसी-247 में कंस्ट्रक्शन फिजीबल नहीं है, क्योंकि वहां दोनों तरफ ज्यादा बिल्डअप एरिया है और एप्रोच एरिया में क्रॉस रोड्स हैं। … (व्यवधान)

एलसी-248 की टेक्नीकल फिजीबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है और इस काम को आगे बढ़ाया गया है।

एलसी-249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और रेलवे ने इस काँट्रैक्ट को मई, 2022 में अवार्ड कर दिया है। … (व्यवधान) इसके बाद काम में कुछ और चेंजेज आए, जिसके कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इनक्लूड किया गया ।… (व्यवधान) इस पूरे काम का टेंडर अवार्ड कर दिया गया है और काम तेजी से चल रहा है। … (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार रावत : धन्यवाद माननीय मंत्री जी । मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडर पास के लिए फाइल रेल मंत्रालय में लंबित पड़ी हुई है। … (व्यवधान) इसके साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग, जिस पर

रेलवे ओवर ब्रिज स्वीकृत हो चुका है, उस हेतु मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 257 के रेलवे अंडर ब्रिज और 258 के रेलवे ओवर ब्रिज की आगे की प्रक्रिया अविलंब प्रारम्भ किए जाने हेतु क्या वे कोई निर्देश देंगे? … (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय का सजेशन नोट किया गया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कभी भी हम कार्यालय में बैठकर कम्प्लीट रिव्यू कर लेंगे। … (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, my question is with respect to the Road Under Bridges (RUBs). … (*Interruptions*) There is a huge problem mainly in the rainy season. There is a lot of waterlogging for almost six months a year and because of that farmers are not able to access their fields for six months a year. … (*Interruptions*) This has been raised not just by me but by most of the Members in the House repeatedly. … (*Interruptions*) So, I would request the Minister to give some clarity on this issue. … (*Interruptions*) There needs to be a new design that has to come up with a RUB. So, I would request the Minister to inform what is the new design that is coming up so that this waterlogging problem can be taken up. Thank you very much. … (*Interruptions*)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। इस बारे में मैं थोड़ी विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा। … (व्यवधान) रेलवे के अंडर पासेज में पानी की समस्या दूर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। … (व्यवधान) उन स्टेप्स में जो तीन-चार सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, उनमें सबसे पहले अंडर पासेज के डिजाइन में जो ज्वाइंट्स होते थे, उनके ऊपर अलग से जैकेटिंग करके ज्वाइंट्स को रोका गया है। … (व्यवधान) दूसरा, जो रिटेनिंग वॉल होती थी, उसमें वीप होल्स होते थे, जिनको बंद किया गया है। तीसरा, बहुत सारी जगह जो अप्रोच

रोड है, उस पर एक कवर्ड शेड बनाया गया है।... (व्यवधान) चौथा, जितना भी अप्रोच वाला एरिया है, उसमें कंक्रीट गार्ड वाल बनाई गई है, जिससे कि साइड का पानी नहीं आए। ... (व्यवधान) पांचवां, जो अप्रोच रोड है, उसके ग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर किया गया है और इस तरह से किया गया है, जिससे कि ग्रेडिएंट पहले ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए । ... (व्यवधान) छठा, बहुत सारी जगहों पर जो हमारे अंडर पासेज हैं, उनमें संप-पंप क्रिएट किया गया है तथा संप-पंप से मोटर लगाई गई है, ताकि पानी को बाहर पंप आउट किया जाए। ... (व्यवधान) सातवां, बहुत-सी जगहों पर क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। करीब एक हजार नौ सौ ऐसे अंडर पासेज हैं, जिनको रिपेयर करने से आज परिस्थिति पहले से बेहतर है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं? कृपया सदन की मार्यादा बनाकर रखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन वाद-विवाद और चर्चा के लिए है। चर्चा हो, उसके लिए आप अपने-अपने आसन पर जाकर बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। यह सदन चर्चाओं के लिए है। क्या आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 84 to 100

Unstarred Question Nos. 921 to 1150)

(Page No. 20 to 737)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है। मैंने स्थगन प्रस्तान की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9705/17/23]

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9706/17/23]

(3) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम (संशोधन) विनियम, 2022 जो 17 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एआई/18/11/एससीटीआईएमएसटी/2022 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9707/17/23]

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विद्वान हैं। सदन नियम से चलता है।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2023, जो 4 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.343(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) (संशोधन) नियम, 2023, जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9708/17/23]

… (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.393(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9709/17/23]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोयला ब्लॉक आबंटन (संशोधन) नियम, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9710/17/23]

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) का.आ. 2659(अ) जो 15 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9711/17/23]

(2) का.आ. 1392(अ) जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सहायिकी प्राप्त खाद्यान्न/खाद्य सहायिकी के नगद अंतरण की प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए आधार संख्या/आधार अधिप्रमाणन की आवश्यकता को सम्मिलित किए जाने की तारीख को 30 जून, 2023 तक आगे बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9712/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Government e-Marketplace, New Delhi, for the years 2020-2021 and 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Government e-Marketplace, New Delhi, for the years 2020-2021 and 2021-2022.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9713/17/23]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) Section 19 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.1565(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2023, notifying Foreign Trade Policy, 2023.

(ii) S.O.1207(E) published in Gazette of India dated 14th March, 2023, notifying amendment in Policy Conditions under ITC HS code 2515 of Chapter 25 and 6802 of Chapter 68 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022- reg.

(iii) S.O.1389(E) published in Gazette of India dated 22nd March, 2023, notifying amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

(iv) S.O.1586(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2023, notifying amendment in Import Policy Condition under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

(v) S.O.2127(E) published in Gazette of India dated 8th May, 2023, notifying amendment in import policy condition of Apples under ITC (HS) 08081000 of Chapter-08 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy).

(vi) S.O.2351(E) published in Gazette of India dated 29th May, 2023, notifying syncing of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy) with Finance Act 2023 (No.8 of 2023) dated 31.03.2023 and Foreign Trade Policy, 2023 -reg.

(vii) S.O.2408(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2023, notifying amendment in Import Policy Condition 6 (Pet Coke) under Chapter 27 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

(viii) S.O.2626(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2023, notifying amendment in Import Policy and Policy Condition of Copra under ITC (HS) Code 12030000 of Chapter 12 of ITC (HS), 2022, Schedule-I, Import Policy.

(ix) S.O.2826(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2023, notifying amendment in import policy condition of Cigarette lighters Covered under CTH 9613 of Chapter 96 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

(x) S.O.2901(E) published in Gazette of India dated 3rd July, 2023, notifying amendment in import policy condition for items under ITC(HS) code 07019000 of Chapter 07 of ITC (HS), 2022, Schedule - I (Import Policy).

(xi) S.O.2902(E) published in Gazette of India dated 3rd July, 2023, notifying amendment in Import Policy Condition under ITC (HS) 08028010 of Chapter 08 of ITC (HS) 2022,

Schedule – I (Import Policy).

(xii) S.O.1390(E) published in Gazette of India dated 22nd March, 2023, notifying amendment in Export Policy of Bio-Fuels under Chapter 27 of Schedule 2 (Export Policy) ITC (HS) classification of Export and Import.

(xiii) S.O.1587(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2023, notifying amendment in Export Policy of items under HS Codes 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 and 27101949 of Chapter 27 of Schedule-2 of the ITC (HS) Export Policy.

(xiv) S.O.1677(E) published in Gazette of India dated 6th April, 2023, notifying streamlining of Halal Certification Process for Meat and Meat products.

(xv) S.O.2242(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2023, notifying amendment in Export Policy of Cough Syrups.

(xvi) S.O.2273(E) published in Gazette of India dated 24th May, 2023, notifying amendment in Export Policy of Broken Rice under HS Code 10064000.

(xvii) S.O.2769(E) published in Gazette of India dated 26th June, 2023, notifying amendment in Policy condition of Sl. No. 55 & 57, Chapter 10 Schedule-2, ITC (HS) Export Policy, 2018.

(xviii) S.O.2755(E) published in Gazette of India dated 23rd June, 2023, notifying amendment in Export Policy of HS Code 2610.

[Placed in Library, See No. LT 9714/17/23]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987:-

(i) S.O.1532(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2023 directing that the commodities specified in column (2) of the notification shall be packed in Jute packing material for supply or distribution, in such percentage as specified in column (3) of the notification with effect from the publication of the notification in Official Gazette, upto the 30th June, 2023.

(ii) S.O.2726(E) published in Gazette of India dated 20th June, 2023 making certain amendments in Notification No.S.O.1532(E) dated 31st March, 2023

[Placed in Library, See No. LT 9715/17/23]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the British India Corporation Limited, Kanpur, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the British India Corporation Limited, Kanpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 9716/17/23]

(b) (i) Review by the Government of the working of the National Jute Manufacturers Corporation Limited, Kolkata, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the National Jute Manufacturers Corporation Limited, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9717/17/23]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the 37 of Table a copy of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal

(Officers) Recruitment Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.305(E) in Gazette of India dated 19th April, 2023, under Section the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

[Placed in Library, See No. LT 9718/17/23]

… (*Interruptions*)

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Hon. Speaker, Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 2022, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 25th July, 2023, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Seventy-third", the word "Seventy-fourth" be *substituted.*

CLAUSE 1

1. That at page 1, line 3 and 4, *for* the words, brackets and figures "(Fifth Amendment) Act, 2022", the words, brackets and figures "(Amendment) Act, 2023" be *substituted.*

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

2. I lay on the Table the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha, and returned by Rajya Sabha with amendments.

… (*Interruptions*)

12.03hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 126th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 126th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9695/17/23.

(b) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 127th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 127th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

अध्यक्ष महोदय, दो-तीन विभाग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। … (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9696/17/23.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 367th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 367th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9697/17/23.

(d) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 369th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 361st Report of the Committee on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 369th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations contained in the 361st Report of the Committee on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9698/17/23.

(e) Status of implementation of the recommendations contained in the 374th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 374th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9699/17/23.

(f) Status of implementation of the recommendations contained in the 375th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statement regarding Status of implementation of the recommendations contained in the 375th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9700/17/23.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा बनाए रखिए। यह भारत की संसद है। आपका दल इतना पुराना है, क्या आपका इस तरह का व्यवहार ठीक है? सदन की कुछ गरिमा रखिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप सदन की गरिमा गिराना चाहते हैं? इतने सालों तक शासन करने के बाद क्या आपने यह व्यवहार सीखा है?

… (व्यवधान)

12.05 hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Development of Manmade Fibre' pertaining to the Ministry of Textiles*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Development of Manmade Fibre' pertaining to the Ministry of Textiles

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9702/17/23.

<u>12.06 hrs</u>

(iv) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 172nd Report of the Standing Committee on Commerce on 'Promotion and Regulation of E-Commerce in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 172nd Report of the Standing Committee on Commerce on 'Promotion and Regulation of E-Commerce in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9703/17/23.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 175th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 168th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Hon. Speaker, Sir, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 175th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 168th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-23) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9704/17/23.

12.07 hrs

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे नियम 198 के अंतर्गत श्री गौरव गोगोई जी से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रस्ताव का पाठ इस प्रकार है :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

मैं श्री गौरव गोगोई जी से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री गौरव गोगोई।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं उन सदस्यों से, जो इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करने के पक्ष में हों, अनुरोध करता हूं कि वे अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

12.07½ hrs

Several hon. Members rose in their seats.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि प्रस्ताव के समर्थन में 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हुए हैं, अतः सदस्य को सभा की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करके और नियमों के तहत, उचित समय पर, चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा ।

… (व्यवधान)

12.08 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced
(i) REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2023*

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 14.

श्री नित्यानन्द राय जी ।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।**…**(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the introduction of the said Bill for want of legislative competence on three counts: first, it transgresses on the right to privacy; second, it

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 26.07.2023.

transgresses on the right to the separation of powers; and third, it suffers from the malady of excessive delegation. … (*Interruptions*) If the hon. Speaker would permit, I could read out in detail as to what are the reasons for opposing the Bill. But these are my three fundamental objections. … (*Interruptions*)

12.09 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Sushri S. Jothimani, Shrimati Aparupa Poddar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 15 – श्री अधीर रंजन चौधरी जी..

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री नित्यानन्द राय जी..

… (व्यवधान)

12.10 hrs

(ii)JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (AMENDMENT) BILL, 2023*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

… (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 26.07.2023.

12.11 hrs

(iii) JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2023*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, I oppose the introduction of the Bill on the ground that the Jammu and Kashmir Reorganisation Act is a constitutionally suspect law. Judicial scrutiny is being done by the apex court. Even hearing has commenced. So, this is against the constitutional propriety and constitutional morality. You cannot amend an Act that is under judicial scrutiny and is a constitutionally suspect law. The constitutionality of Jammu and Kashmir Reorganisation Act is being examined by the Supreme Court and day-to-day hearing is scheduled to begin from 2nd August. It is better to stop the introduction of this Bill. I oppose the introduction on the ground that it is a constitutionally suspect law and the Constitution does not permit the introduction of the Bill. That is my objection to the introduction.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 26.07.2023.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

… (व्यवधान)

12.13 hrs

(iv) CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

… (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 26.07.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

12.14 hrs

(v) CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED TRIBES ORDER (AMENDMENT) BILL, 2023*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

... (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 26.07.2023.

12.15 hrs

(vi) MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I strongly oppose the introduction of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023. It is against the principle of federalism and it is for privatising the atomic minerals, mining and minerals separation, privatisation for big corporates. It will adversely affect the Public Sector Undertakings like IRE, KMML, TTP. So, it is for privatisation and for multinational corporations. It affects the security and safety of the nation. It is against the principle of federalism because it comes under Item no. 23 in Schedule Seven of the Constitution. This is in violation of the State Governments authority to give mining lease for the minerals separation and mining license.

So, I strongly oppose this Bill. Please withdraw this Bill.… (*Interruptions*)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 26.07.2023.

Do not give permission because it is unconstitutional and encroaches upon the States' rights… (*Interruptions*) I strongly oppose the introduction of this Bill… (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the clear position is that the introduction of the Bill can only be opposed under Rule 72 on the ground of legislative competence.… (*Interruptions*) This House has full legislative competence … (*Interruptions*)

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was enacted under the exclusive power of the Parliament under Entry No. 54 of List I, that is Central List, under Seventh Schedule of the Constitution of India … (*Interruptions*) As regards the contention of the hon. Member who is opposing the introduction of this Bill, it is stated that the power vested under Entry 23 of the List II is subject to the provisions of Entry 54 of the List I with respect to the Regulation and Development under the control of the Union… (*Interruptions*) As such, no objection can be raised on the legislative competence of the Parliament in this subject matter … (*Interruptions*) Through this Bill, the Government only intends to make certain amendments in the parent Act of 1957 … (*Interruptions*) Moreover, at this stage, discussion on merit cannot happen … (*Interruptions*) Therefore, I urge that I be allowed to introduce the Bill … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I introduce** the Bill.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 11, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ।

** Introduced with the recommendation of the President.

12.17 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS-Contd.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2023- 2024) pertaining to the Ministry of Railways*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9701/17/23.

<u>14.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

<u>14.01 hrs</u>

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाए जाने की अनुमति दी गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

<u>14.01½ hrs</u>

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

---

* Treated as laid on the Table

(i) Need to set up Ahir Regiment in Army

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): भारत की थल सेना में रेजिमेंट प्रणाली हैं जिनका बंटवारा ब्रिटिश काल में हुआ था और इसमें भर्तियां जाति या समुदाय के आधार पर होती थी। पिछले कई वर्षों से अहीर (यादव) समुदाय की मांग है कि सेना में अहीर रेजिमेंट के नाम पर एक पूर्ण इन्फैंट्री हो जो वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट के दो बटालियन और अन्य रेजिमेंटों में एक निर्धारित प्रतिशत तक सीमित है। अहीर समाज का देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वह 1948, 1962, 1965, 1971, कारगिल युद्ध, प्रथम/द्वितीय विश्व युद्ध या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो। अहीर समुदाय के सैनिकों को पराक्रम और अदम्य साहस के लिए दो परमवीर चक्र, चार महावीर चक्र, चार अशोक चक्र, तीस वीर चक्र और छह कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेजांग ला पर 3000 चीनी सैनिकों से लड़ते हुए 120 अहीर समाज के सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अहीर समाज के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने हेतु मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो अहीर रेजिमेंट के गठन को तत्काल स्वीकृति दे और यदि किसी प्रशासनिक कारणों से यह संभव न हो तो वायु सेना और नौसेना की तरह थल सेना में भी रेजिमेंट प्रणाली को खत्म किया जाए जिससे हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

(ii) Need to construct dam at Panchal Ghat and Dhai Ghat on river Ganga in Farrukhabad Parliamentary Constituency

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): मेरा संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद, गंगा तथा रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। लगभग 100 कि. मी. गंगा और रामगंगा मेरे संसदीय क्षेत्र में बहती है। प्रतिवर्ष गंगा और रामगंगा में बाढ़ आने की वजह से हजारों एकड़ जमीन और गाँव गंगा व रामगंगा नदी में होने वाले कटान के कारण बह जाते है । इतना ही नहीं पांचाल घाट के पास गंगा में अधिक कटान होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 सी के बहने का खतरा बराबर बना रहता है। अतः माननीय जलशक्ति मन्त्री जी से विनम्र निवेदन है कि पांचाल घाट और ढाई घाट गंगा के उत्तरी किनारे पर लगभग 2-2 कि. मी. लम्बा बाँध बनवाने का कष्ट करें जिससे कि गंगा नदी में होने वाले कटान से मुक्ति मिल सके और ग्रामीणों के गाँव और खेत गंगा में बहने से बच सकें एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 सी को भी सुरक्षित किया जा सके।

(iii) Need to establish a medical college in Jhabua Parliamentary Constituency

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): मेरा लोकसभा क्षेत्र झाबुआ, मध्यप्रदेश का सर्वाधिक जनजाति बाहुल्य जिला है । इस जिले में सिकलसेल एनिमिया, सिलीकोसिस, फ्लोरोसिस, थाईराइड, वैक्टर आदि बिमारियों की बहुतायत है। गरीब जनजाति जनता को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत परेशानी होती है । इस कारण इस जिले की गरीब जनता को इलाज हेतु पड़ौसी राज्य गुजरात पर निर्भर रहना पड़ता है । जिले में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें नहीं होने के कारण अपने इलाज हेतु अत्यधिक समय एवं धन का व्यय करना पड़ता है । जिले की जनता काफी समय से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही है, ताकि उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हो सके । सरकार से अनुरोध है कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ।

(iv) Need to provide railway level crossings or underpasses in Jorhat Parliamentary Constituency

SHRI TOPON KUMAR GOGOI (JORHAT): The three district Jorhat, Sivasagar, a Charideo of my constituency have some railway level crossing or underpass but unfortunately 200-300 years old roads don’t have any railway level crossing or underpass due to that, numbers of accidents are happening and innocent people are losing their life at the junction of the railway track crossing, where no railway level crossing has been built. As students from local villages, Patient on emergency people doing the job near about, tourists, small and heavy transport vehicle have to cross from the above said point every day. I request the Hon’ble Minister of Railways to take urgent measures, so that the railway level crossing or underpass should be built at all the points where the railway lines and 200-300 years old roads are bisecting each other as soon as possible to stop the accidents and save the innocent people’s lives.

(v) Need to provide compensation to farmers of border areas in Jammu Parliamentary Constituency

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत पाक सीमा पर रह रहें किसानों की दयनीय दशा की ओर ले जाना चाहता हूँ। सीमावर्ती क्षेत्र के छम्ब सेक्टर पलांवाला में एक तो कांटेदार तार लगी है और अभी तक माइन बिछे हुए है। दुर्भाग्यवश तार के उस पार हमारे किसानों की कई एकड़ जमीनें भी है, जो बहुत ही उपजाऊ है। जिसमें धान, चावल आदि की खेती कर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी उपजाऊं जमीन तार के उस पार चले जाने से ना ही वो खेती कर पाते है और ना ही इन लोगों को कोई मुआवजा मिला है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उनकी दयनीय दशा को देखते हुए एक सूची जम्मू कश्मीर सरकार से मंगवाई जाए ताकि उस जमीन का मुआवजा उन किसानों को यथाशीघ्र मिल सकें, जिससे वह अपनी जिन्दगी गुजर बसर ठीक प्रकार से कर सकें।

(vi) Need to include 'Kamlapuri Vaishya' caste in the central list of Backward Classes

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सदन का ध्यान कमलापुरी वैश्य जाति के प्रति आकृष्ट कराना चाहती हूँ। कमलापुरी वैश्य जाति शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, जिनकी बिहार के आलावा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम एवं दिल्ली में अच्छी खासी आबादी निवास करती है तथा सिर्फ बिहार राज्य में ही इनकी आबादी 11 लाख के आस पास है । बिहार सरकार की पिछड़ी जाति की सूची में दिनांक 18 फरवरी 1999 की अनुसूची-2 के क्रम संख्या - 20 पर कमलापुरी वैश्य जाति सहित सूढ़, हलवाई, रौनियार, पंसारी, कसेरा आदि अन्य पिछड़ी जातियों का नाम अंकित है। परन्तु केंद्रीय सूची में कमलापुरी वैश्य जाति को ही पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है जो इस जाति के साथ न्यायसंगत नहीं है। वर्ष 1996 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रामनन्दन प्रसाद की अनुशंसा पर आयोग की सलाह संख्या - बिहार 5/96 द्वारा भी कमलापुरी वैश्य जाति का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 83 में जोड़ने का सुझाव दिया गया था। इसके बावजूद इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया तथा वर्षों से इस जाति के लोग अपने अधिकार से वंचित हो रहे है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि उपरोक्त कमलापुरी वैश्य जाति को पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल करायी जाये जिससे कि वर्षों से आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी इस जाति का समुचित उत्थान संभव हो सके।

(vii) Need to check harassment of people by money lenders

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अदालतो में चेक अनादरण के मामले लगातार बढ़ रहे है, इनमें से अधिकांश मामले इस प्रकार के है कि किसी ने जरूरत के समय पैसा उधार लिया परन्तु अधिक ब्याज के कारण पैसे लौटाए नही जा सकते इसलिए चेक में मनमानी राशि भरकर गैरकानूनी तरीके से पैसे उधार देने वाले लोग खाली चेक गारन्टी के तौर पर लेते है और आगे इसका डर दिखाकर गरीब का शोषण करते है। इसलिए इस विषय पर जल्द ही प्रभावी कानून बनाना जरूरी है यथा यदि इसमें बीस हजार से अधिक उधार दिये है तो वह बैंक के माध्यम से दिये गये हो एवं यह राशि इनकम टेक्स रिटर्न में दर्शा रखी हो । चेक अनादरण प्रकरण में परिवादी से कुछ हिस्सा राशि भी कोर्ट जमा करे यह भी देखा जाए कि प्रकरण दर्ज कराने वाले के पास ब्याज का धंधा करने का लाईसेंस है भी या नहीं? इससे आम आदमी को तो सुरक्षा मिलेगी ही मनमाने ब्याज वसूली और इसके कारण हो रहे शोषण पर भी लगाम लगेगी, कोर्ट का समय भी व्यर्थ नही होगा।

(viii) Regarding establishment of medical college in Aurangabad, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है। हाल में ही नीति आयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के स्थापना की सिफ़ारिश की हैं। औरंगाबाद वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित और आकांक्षात्मक जिला है। NH-19 एवं NH-98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार राज्य के रोहतास, अरवल तथा गया एवं झारखण्ड राज्य के पलामू तथा चतरा ज़िलों से जुड़ा हैं। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा। देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता हैं। प्रतिवर्ष हज़ारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई हेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा। उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया हैं। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बजट से कॉलेज का निर्माण कराये।

(ix) Need to take legal action against clubs and hotels not permitting people wearing Indian attire

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं आपका ध्यान भारतीय मूल्य एवं परम्पराओं का पालन ना कर रहे ऐसे तथाकथित अभिजात्य वर्ग के संस्थानों और क्लबों की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ जहाँ भारतीय परम्पराओं की लगातार अवमानना की जा रही है। हमारे देश के अधिकांश लोग जो ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों से जुड़े हुए हैं वे अभी भी भारतीय परिधानों और वेशभूषा का प्रयोग करते हैं। विशेषकर यहाँ के निवासियों ने कुर्ता-पायजामा, लुंगी और साड़ी इत्यादि को जीवंत किया हुआ है। जैसा कि बहुत से पांच सितारा होटलों एवं अभिजात्य होटलों/क्लबों एवं गोल्फ कोर्स इत्यादि में भारतीय वेशभूषा पहनकर जाना प्रतिबंधित है, अभी हाल ही में कुछ गोल्फ क्लबों में भारतीय वेशभूषा पहनकर जाने पर अन्दर प्रवेश निषेध किया गया है। इसी प्रकार कई होटलों और क्लबों में भी इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। मेरा निवेदन है, कि सरकार ऐसे प्रावधान बनाने का कष्ट करे जिससे ऐसे क्लबों, गोल्फ कोर्स और पांचसितारा होटलों पर कानूनी कार्यवाही की जा सके जहाँ भारतीय वेशभूषा पहनकर जाने की अनुमति नहीं है।

(x) Regarding opening of portal for Fasal Bima Yojana in Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): प्रधानमंत्री फसल बीमा जब से प्रारंभ की गयी है तब से मेरे लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय महासमुंद जिला के सीमावर्ती विकास खंड जैसे बागबाहरा, पिथौरा बसना, और सरायपाली में अल्पवर्षा सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिली है, और कर्ज के बोझ से मुक्त हुए हैं। लेकिन वर्ष 2023-24 के लिए अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण किसान बीमा नहीं करा पाये है। बीमा नहीं होने की स्थिति में किसानों को भविष्य ने प्राकृतिक आपदा जैसे अल्पवर्षा सूखे से भारी अधिक नुकसान हो सकता है।

अतः केंद्र सरकार से गुजारिश है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुये छत्तीसगढ़ शासन से समन्वय कर फसल बीमा योजना पोर्टल की व्यवस्था कराई जाए जिससे वंचित किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद फसल बीमा पश्चात उचित लाभ मिल सके।

(xi) Need to include Hatyaharan religious place under 'Ramayana Circuit'

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): केन्द्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर ध्यान देते हुए 'रामायण सर्किट' के विकास के लिए तेजी से कार्य प्रारंभ किया है और 'रामायण सर्किट यानि भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें देश के कई राज्यों के उन 15 स्थानों को चुना गया है, जहां से श्री राम गुजरे थे।

उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में स्थित हत्याहरण एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां स्थित हत्याहरण कुंड श्री भगवान राम से गहरा ताल्लुक रखता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब रावण का वध करके यहां आए तो स्नान कर रावण वध से मुक्त हुए। यहां पर देश के दूरदराज क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी एक बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हत्याहरण धार्मिक स्थल का महत्वपूर्ण पुराणों में भी वर्णित है। भादो महीने में यहां पर प्रत्येक रविवार को यहां पर मेले का भी आयोजन होता है। लेकिन, श्रद्धालुओं जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से राज्य के अयोध्या, श्रृंगवेरकर, चित्रकूट, नंदीग्राम एवं देश के दूसरे राज्यों के अन्य स्थल, जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, का 'रामायण सर्किट' योजना में चयन किया गया है, उसी प्रकार से हत्याहरण धार्मिक स्थल को भी इस योजना में शामिल किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए और साथ ही वहां पर टीन शेड प्रतीक्षालय, विश्रामालय, सुलभ शौचालय, पेयजल, विद्युत इत्यादि के लिए केंद्रीय आवंटन अविलंब किया जाए।

(xii) Need to introduce a Vande Bharat Train Service between Gorakhpur and New Delhi

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को जोड़ते हुए गोरखपुर से लखनऊ तक वंदे भारत रेलगाड़ी का उपहार मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर की जनता को दिया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत रेल गाड़ी देने की कृपा करें। वर्तमान में गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक भी हाई स्पीड रेल गाड़ी नहीं है जिससे मेरे क्षेत्र की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वंदे भारत रेलगाड़ी के चलने से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर की जनता के जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होगी।

(xiii) Regarding removal of unauthorized advertisement hoardings on National Highways

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाये गए अवैध होर्डिंगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। किसी भी स्थान पर प्राधिकरण की अनुमति के बिना ही इस प्रकार के होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाये जाने के दौरान अनेक बार तो इस बात का भी ध्यान नहीं किया जाता है कि यह दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है अथवा नहीं। अनेक बार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से लगाये जाने वाले इस प्रकार के होर्डिंगों से सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ ही दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। अनेक बार तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशा सूचक बोर्डों पर भी इस प्रकार के होर्डिंग/फ्लेक्स लगा दिए जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध प्रकार से लगाये जाने वाले होर्डिंगों इत्यादि को हटवाया जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही कर इससे होने वाली राजस्व की हानि को उनसे वसूल किया जाए।

(xiv) Need to connect Ringas- Khatu Shyam ji-Salasar-Sujangarh through railway line

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विकास के नए-नए आयाम स्थापित किये जा रहे है। राजस्थान के मामले में अगर देखा जाए तो नए रेल ट्रेक निर्माण का कार्य काफी कम रहा है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों, जनप्रतिनिधियों व धार्मिक संस्थाओं व अन्य संगठनों के माध्यम से रींग्स- खाटूश्यामजी-सालासर-सुजानगढ को रेलवे लाईन से जोड़े जाने की मांग की जा रही है। रींग्स से खाटूश्यामजी तक नई रेल लाईन डालने का सर्वे किया जाना है, इस सर्वे में रींग्स से खाटुश्यामजी-सालासर- सुजानगढ तक सर्वे कर नई रेल लाईन को शामिल किया जाए। इस रेल लाईन का निर्माण होने से खाटुश्यामजी, सालासर बालाजी व सुजानगढ त्रिरूपति बालाजी धार्मिक पर्यटक व तालछापर अभ्यारण पर्यटक स्थल रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इन सभी धार्मिक, पर्यटक स्थलों का सम्पूर्ण भारतवर्ष से सीधा सम्पर्क हो जायेगा। अतः मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि रींग्स से खाटूश्यामजी-सालासर-सुजानगढ तक सर्वे कर नई रेल लाईन डाली जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(xv) Regarding inclusion of 13 panchayats in Coastal Regulation Zone (CRZ) in the Ernakulam Parliamentary Constituency

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I want to bring to your kind attention an important matter regarding the Coastal Regulation Zone (CRZ) categorization in the Ernakulam constituency of Kerala. It has come to my notice that due to a discrepancy in the consideration of 13 Panchayats for CRZ categorization by the Ministry, the situation has worsened beyond the expectations of the officials involved. The Government of Kerala had submitted a proposal to the Union Ministry for including 23 panchayats in the CRZ category II, as they exhibit features akin to urban areas. Subsequently, the Government of Kerala has issued an order designating these 23 panchayats as urban areas. However, the Ministry have only considered 10 of these Panchayats within the geographical area of the Ernakulam Lok Sabha constituency. Regrettably, the 13 panchayats, ie. Alangad, Chendamangalam, Chittattukara, Ezhikkara, Kadungalloor, Karumaloor, Kottuvally, Kunnukara, Puthenvelikkara, Udayamperoor, Vadakkekkara, Kuzhippilly, Pallippuram; that were not included in the CRZ category II and have not received any substantial explanation or clarification from the Ministry regarding the reasons for their exclusion. I would like to highlight that CRZ category II provides a more people friendly approach, as it imposes fewer restrictions on building construction. On the other hand, categories IIIA and IIIB have stringent limitations on the construction of dwelling houses.

(xvi) Regarding Reconnaissance Engineering-cum-Traffic survey for Erode (Ingur) – Palani New BG line

SHRI A GANESHAMURTHI (ERODE): The Reconnaissance Engineering-cum-traffic Survey was ordered for the erode (Ingur)-Palani new BG line via Chennimalai, Kangeyam, Dharapuram, in the Railway Budget 2005-2006 and certain amount was provided. However, in the year 2007, priority was not given to this project and the whole survey was shelved in the guise of unremunerative line. Now, whether it is remunerative. Has any survey been made about he remuneration?. It is about 100 km new en-route connecting famous temple town Palani. In the earlier survey line, one solar plant has come up and other infrastructure projects and plants have also come up. Now, whether it is remunerative. Has any survey been made about the remuneration aspect? I am glad that in this year's Budget Rs. 50 crore has been allotted for the survey of this new BG line. However, Hon'ble Minister of Railways should clarify that whether there will be some change in the alignment of the proposed BG line, since lots of projects have come in the earlier survey line and would affect the existing industrial development.

(xvii) Regarding grant of a financial relief package in flood affected Arambagh Parliamentary Constituency

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): My constituency Arambagh of Hooghly, West Bengal with an estimated Scheduled Caste population of 30.73% and a Scheduled Tribe population of 3.34% is one of the worst sufferers of recent heavy rains. The rainfall has wreaked havoc in several parts of my constituency particularly in the low land and flood prone areas. People have suffered losses and damages worth lakhs and crores in terms of houses, agriculture land and products, livestock and small traders during this flood. I therefore urge upon the Government and humbly pray to the Hon'ble Prime Minister to come forward with a financial relief package for the affected farmers, small businesses and specially for the poor living below poverty line who suffering because of such natural calamity.

(xviii) Need to identify the viability of utilizing the Mannavaram Zone for Semiconductor Manufacturing

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Semiconductor chips are the basic building blocks of all information and communication technologies. The USA, Taiwan, the Netherlands, and Japan meet most domestic and global market demand. Indian semiconductor industry is in its early stages. The Semicon India Programme, with a budget of Rs. 76,000 crore, is a significant step forward for the sector. With its multimodal transportation capabilities and trained workforce, Andhra Pradesh is an ideal location for establishing the Semiconductor Manufacturing Units. It also contains dedicated electronic equipment production zones, such as NBPPL Mannavaram, which will make the setup process much easier. Establishing such facilities will boost our self-reliance while also assisting India in integrating with global supply networks. I request the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology to consider Andhra Pradesh as India's Semiconductor Manufacturing Base. I further request to identify the viability of utilizing the Mannavaram Zone for Semiconductor Manufacturing.

(xix) Need to sanction funds under Blue Revolution Scheme

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): There is a Jetty at present at Versova, Andheri (West), Mumbai in my Parliamentary Constituency of 27-Mumbai North-West. It is a first fisherman jetty in India. Considering ever increasing fishing business, Government of Maharashtra have appointed Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Jalahalli, Bengaluru-560013 for submitting estimates and necessary drawing for constructions of new jetty at Versova, Andheri (West). The estimate of Rs. 337 crore for construction of jetty proposals has already been submitted to the Central Government on 21/05/2019 together with all maps, drawings etc. with a request to sanction the required fund under Blue Revolution Scheme. The sanction is pending for last four years. Considering the urgent need of fishing communities and increasing business, I urge upon the Hon'ble Minster to kindly accept the proposal and sanction necessary funds for the purpose.

(xx) Need to bring back Rampurva Bull and Lion Statue currently placed at Rashtrapati Bhawan and Victoria Memorial respectively to Rampurva, Bihar

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): मैं सरकार का ध्यान वाल्मीकिनगर लोकसभा अंतर्गत रमपुरवा अशोक स्तंभ के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूँ। रमपुरवा जो गौनाहा प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने केस (बाल) तथा बहुमूल्य वस्तुओं का त्याग किया था तथा यही से महात्मा बुद्ध वाल्मीकि नगर के जंगलों में सत्य की खोज में निकल गए थे। उनके इसी त्याग को दर्शाने के लिए सम्राट अशोक द्वारा सिंह के मुख वाले अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया था जो पूर्ण नहीं हो सका था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पर्याप्त साक्ष्य आज मौजूद है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्राणों का त्याग रामपुरवा में किया था, ना कि कुशीनगर में उनके परिनिर्वाण को दर्शाने के लिए सिंह के मुख वाले अशोक स्तंभ से 300 मीटर की दूरी पर वृषभ के मुख वाले अशोक स्तंभ का निर्माण कराया जा रहा था, जो अधूरा रह गया था। इस स्थान पर आज भी दोनों अशोक स्तंभ मौजूद है। आज के समय में रामपुरवा का वृषभ राष्ट्रपति भवन तथा सिंह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रामपुरा स्थित महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष वृषभ राष्ट्रपति भवन तथा सिंह विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया है, इनको पुनः वास्तविक स्थान रामपुरवा में स्थापित किया जाए। इससे यहाँ पर आने वाले बौद्ध भिक्षुओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा महात्मा बुद्ध के इस पवित्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी।

(xxi) Regarding CSR activities of public and private sector companies in Odisha

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): As defined by law, corporate companies should spend 2% of profit for local area development as Corporate Social Responsibility. This is mandatory for both private and public entities. However, over the last few years it has been noticed that the corporate entities are not making much contribution towards local area development. It has been noticed further, that public sector companies are also not contributing in the manner they used to participate in local area development earlier. The details of companies spending their CSR fund must be shared with the Members of Parliament. This will bring accountability of the companies and make them responsible corporate and whoever is not in compliance with the law be punished. Therefore, I urge upon the Minister of Corporate Affairs to share the list of companies in Odisha, both public and private, the CSR activities done and the amount of fund spend by them district wise.

(xxii) Need to take stringent action against people perpetrating atrocities on SCs

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): पूरे देश में वर्तमान समय में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़ आ गयी है। राजस्थान में करौली जनपद में एक 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके चेहरे को एसिड से जला कर गोली मारकर हृदय विदारक घटना घटित हुई है। यदि समय रहते युवती के परिवार के लोगों की बात पुलिस महकमा गंभीरता से लेता और कार्यवाही करता तो शायद उस युवती की जान बच जाती। इस घटना की जिम्मेदारी आरोपियों और पुलिस दोनों की है । दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा केवल शंका के आधार पर दो दलित युवकों को जूता की माला पहना कर उनके मुंह में मल-मूत्र भर कर तथा सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया है, जो एक अमानवीय कृत्य है । पूरे देश में दलित उत्पीड़न की हो रही घटनाओं को अविलम्ब रोके जाने और घटित घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाय ।

(xxiii) Regarding setting up of a plant for advanced canning factory for preservation of coconut products and warehouse with preservation facility for vegetables and chillies in Ramanathapuram Parliamentary Constituency

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): There is a request from the villagers of Ramaswamy Patti falling under Kamuthi block and Mathiyendhal and Thiruvarangam villages falling under Mudukulathor block. These blocks are in my Ramanathapuram Constituency and their plea is to set up an 100 MT Warehouse to store their cultivated chillies and other vegetables, so that they can further preserve it and enhance their Sales. They suggest that it can be better maintained if stored under such preserve facilities. I request this Government to come forward for setting up a Warehouse with preservation facility to meet their requirements. Aranthangi coming under my Ramanathapuram Constituency is a rich belt for coconut cultivation and majority of the villages are into coconut cultivation. In order to further boost up the cultivation of coconut trees and related products, I request the Government to come forward for setting up a plant or advanced canning factory there to produce and preserve more such coconut products.

(xxiv) Need to restore railway concession and other facilities to accredited press correspondents

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Press Council of India is playing a pivotal role in disseminating news and information to people, preserving freedom of press and maintaining ethical, moral and professional standards among its fraternity. As a part of duty, journalists are required to travel extensively to perform their professional assignments and Railways used to provide them concession in fares till COVID. Railways, after restoration of all trains post-COVID, is, no doubt, restored many concessions extended before COVID. And, there is also no doubt that Railway is giving concessions of more than Rs.50,000 crores annually to various categories of passengers. But, concession given to Accredited Press Correspondents has not been restored. This puts extra financial burden on journalists and hence they have been requesting for restoring concessions they used to get prior to COVID. Hence, I appeal the Hon'ble Minister of Railways and Hon'ble Prime Minister to restore concession and other facilities to Accredited Press Correspondents forthwith.

14.03 hrs

FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2023
As Reported By Joint Committee

माननीय सभापति : वन (सरंक्षण) संशोधन विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुश्री दिया कुमारी जी ।

… (व्यवधान)

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Thank you Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak on a visionary legislation that will shape the future of India's forests and sustainable development. The Forest Conservation (Amendment) Bill, 2023, embodies a profound response to the evolving challenges we face in conserving our precious natural resources and combating the threats of climate change.… (*Interruptions*)

Let me begin by thanking our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our hon. Minister, Shri Bhupender Yadav ji, for their unwavering vision and commitment to protecting our environment and promoting sustainable growth.

Sir, I have been fortunate enough to be on the Joint Parliamentary Committee of this Bill and the Committee studied deeply all the aspects of this Bill and consulted all the stakeholders in detail before submitting the report to this august House. … (*Interruptions*) The Committee was confident that as the demands on forest land has intensified over the years, the proposed amendments strike a much-needed balance between safeguarding our vital forest resources and catering to the diverse needs of our society.

… (*Interruptions*)

The first aspect of this Bill is the expansion of its applicability. The Bill, indeed, ensures a comprehensive coverage of forested areas, even those that are not officially designated as forests. The Bill also broadens the list of permissible forest activities. The inclusion of zoos, safaris, and eco-tourism facilities reflects our Government's efforts to ensure the responsible use of forest resources while promoting sustainable livelihoods. … (*Interruptions*)

Sir, the Bill presents exemptions for strategic projects, specifically those within 100 kilometers of India's border, essential for our national security. This is very, very essential because we cannot compromise on security of our nation. We understand the need to strike a delicate balance between conservation and national interest, ensuring that projects of utmost importance to our country are not hindered by stringent regulations. … (*Interruptions*)

Sir, climate change is an undeniable global challenge, and India has taken up the mantle in creating carbon sinks to combat its impact. … (*Interruptions*) The Bill aligns perfectly with our nation's vision by facilitating the establishment of new forests and plantations, and will significantly contribute to our commitments of creating a carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent by 2030. … (*Interruptions*)

Sir, I would like to conclude by saying that this legislation is a testament to the Government's commitment under the able leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi*ji* and, of course, the hon. Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav*ji* is leading this. … (*Interruptions*) I think, this is such an important legislation towards responsible forest management and sustainable development. … (*Interruptions*)

Finally, I urge upon all the hon. Members to support this very, very important Bill as it embodies our collective efforts to protect our forests, combat climate change, and secure a brighter, sustainable, and greener future.
… (*Interruptions*)

Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023. … (*Interruptions*)

This Bill proposes changes to the Forest (Conservation) Act, 1980 to adapt it to better reflect our circumstances today. … (*Interruptions*) At the very outset, I would like to congratulate the Government for continuously managing the commercial and environmental interests and also taking a careful look at the current prevailing situations. … (*Interruptions*)

I would like to highlight the positives of the Bill and also like to give some suggestions on behalf of the YSR Congress Party. … (*Interruptions*) The first is regarding insertion of a Preamble. The proposition to insert a Preamble to the Act is an important move to reflect India's commitments to preserving forests and protecting our natural heritage. This is a positive step. … (*Interruptions*) Secondly, it has specified the parameters of the 1980 Act. There was confusion surrounding the previous 1980 Act which this Bill seeks to redress by amending the Forest (Conservation) Act, 1980 to apply only to certain types of land. … (*Interruptions*) The present Bill is more accurate in balancing the principles of sustainable development while ensuring ample space for conservation efforts and our economic needs as a growing power. … (*Interruptions*)

Now, I would like to list out the following suggestions. The first point relates to the exclusion of categories of land. … (*Interruptions*) The proposed Bill excludes two categories of land from the Forest (Conservation) Act. …

(*Interruptions*) The first is, land recorded as forest before October 25, 1980 but not notified as a forest. … (*Interruptions*) The second is, land which has changed from forest-use to non-forest-use category before December 12, 1996. … (*Interruptions*) I understand, that development is an important priority for the Government and the people of India, and we wholeheartedly support it. … (*Interruptions*) Additionally, there are lands covered under the 1980 Act in biodiversity hotspots such as the Aravallis and Western Ghats. … (*Interruptions*) Since these were protected under the earlier Act, I request the Government to give special consideration to ecologically rich areas such as these and also maintain the protections present for them. … (*Interruptions*)

The second point relates to the requirement of greater consultation with the States. The Act mandates that State Governments must take permission from the Centre before allotting forest land to any private entity. … (*Interruptions*) However, the Amendment Bill proposes that State Governments must take prior approval for the activities of all the entities in a forest land, and on terms and conditions specified by the Centre. … (*Interruptions*) This clearly goes against the ethos and intent of the Constitution which was firmly founded on the principles of decentralization and shared power between the States and the Centre. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Now, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR: The subject of forests and conservation of forests falls under the Concurrent List, and the States have

powers to act on the matter which is currently being infringed upon by the Centre. … (*Interruptions*) I request that this overreach be rectified with utmost haste. … (*Interruptions*) I have full faith that the Government will respond favourably to these points and chart the best way forward. Thank you.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am on a strong Point of Order under Rules 376 and 198(2).

The hon. Minister, Shri Bhupendra Yadav ji, has moved a substantive motion on a policy matter regarding the Forest Conservation Act. The Forest Conservation Act has to be drastically amended. This is a substantive matter relating to the policy of the Government. I would like to enlighten and draw the attention of the Chair to page 772 of Kaul and Shakdher: "When leave of the House to the moving of a motion has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the Government till the motion of no-confidence has been disposed of."

This means that no substantive motion can be brought before the House unless and until the No Confidence Motion is disposed of. Sir, a No-Confidence Motion is pending before the House. So, no substantive motion relating to policy matters can be brought before the House unless and until this No-Confidence Motion is disposed of.

This is my Point of Order.

माननीय सभापति : इसके ऊपर रूलिंग देते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट।

… (व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विधयेक पर बोलने के लिए मौका दिया है।… (व्यवधान) सर, फॉरेस्ट (कंजर्वेशन) अमेंडमेंट बिल 2023, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के कुछ संशोधनों के साथ आज की आवश्यकता को देखते हुए लाया गया है।… (व्यवधान) जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 लागू हुआ था, तो उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था।… (व्यवधान) एमिशन की चिंता कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहता था और कार्बन न्यूट्रैलिटी की आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती थी।… (व्यवधान) खासकर वनवासियों के अधिकार, उनकी पारंपरिक आजीविका और वनों पर उनकी जो निर्भरता है, उनको मान्यता नहीं दी गई थी।… (व्यवधान) आज इन सभी विषयों की आवश्यकता बढ़ी है और एनवायर्नमेंटल इंटीग्रिटी को सोशल रिस्पोंसबिलिटी के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है।… (व्यवधान) मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। यह बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है और पहले जहां सिर्फ संरक्षण की बात होती थी, आज संवर्धन की बात भी हो रही है।… (व्यवधान)

सर, बिल को जेपीसी में भेजा गया था और आपके नेतृत्व में 31 सदस्य वहां पर उपस्थित रहे।… (व्यवधान) बहुत अध्ययन के बाद, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग करने के बाद, विशेषकर जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, डेवलपमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट बॉडीज के इनपुट्स लेने और उन सभी सुझावों को इसमें शामिल करने के बाद यह बिल प्रस्तुत किया गया है।… (व्यवधान) कुल मिलाकर अगर सभी तरह के कमेंट्स और इनपुट्स को देखें तो हमें 1309 के आस-पास कमेंट्स मिले थे ।… (व्यवधान)

सर, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी चिंता करनी बहुत आवश्यक है ।… (व्यवधान) हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि विकास के साथ-साथ संतुलन बनाना भी सीखना होगा और इस बिल में उसका भी प्रावधान है ।… (व्यवधान) इतना ही नहीं, फॉरेस्ट में हजारों फॉरेस्ट बेस्ड

कम्युनिटीज़ हैं, जिनका जीवन और आजीविका वनों पर ही निर्भर है। जो फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी है, उनको पहचानने और उनकी रक्षा करने की अति आवश्यकता है।... (व्यवधान) संरक्षण प्रयासों के बिना, वे पीढ़ियां प्रकृति के साथ इससे पहले भी साथ रही हैं और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ ने वनों की जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, उसको आज तक कायम रखा है। ... (व्यवधान) यह शायद पहली बार है कि जब फॉरेस्ट कम्युनिटीज के अधिकारों को बहुत स्पष्ट और स्पेसिफिक रूप से इस बिल में परिभाषित किया गया है।... (व्यवधान)

सर, इतना ही नहीं, जब ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, तो उसके साथ करंट एनवायर्नमेंटल रियलिटीज को देखते हुए एमिशन को कम करने की जरूरत है और एमिशन से उत्पन्न जो खतरे हैं, उनको कम करना अति आवश्यक है।... (व्यवधान) केंद्र सरकार ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन्स के राष्ट्रीय लक्ष्य की कल्पना की है।... (व्यवधान)

उसके लिए जंगलों की कार्बन सिंक कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा।... (व्यवधान) नेट ज़ीरो एमिशन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.3 बिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी। देश भर में एक-तिहाई से ज्यादा लैंड एरिया को फॉरेस्ट और ट्रीज से कवर करना होगा।... (व्यवधान) कार्बन सिंक का विकास ट्रेडिशनल फॉरेस्ट तक ही सीमित न रहे, इसके लिए प्राइवेट पार्टी को भी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे अपनी भूमि पर भी वन उगा सकें। गैर-वन भूमि को वृक्षारोपण से भर दिया जाए, इसके लिए भी इस बिल में प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान)

यह बिल देश के ओवरऑल फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए सक्षम है। इतना ही नहीं, यह बिल इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि इसमें लोगों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण होगी ताकि एन्वायरमेंट में नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट को पूरा करने में हमें सफलता मिल सके।... (व्यवधान)

यह बिल बहुत सारे प्रावधानों के साथ-साथ, इस प्रावधान को भी सुनिश्चित करता है कि फॉरेस्ट लेन का कोई भी दुरुपयोग न कर सके।... (व्यवधान) मैं उदाहरण के तौर पर कहना

चाहूँगा, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ। गोरूमारा, महानन्दा, बक्शा, लाथागुड़ी नेशनल पार्क और बहुत सारे नैशनल सैंक्चुअरीज, जो दोआब में पड़ते हैं, आज वहाँ पर 50 से भी ज्यादा रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये रिजॉर्ट कोर फॉरेस्ट एरियाज में बनाए गए हैं।... (व्यवधान) यह कैसे संभव हुआ, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। राज्य सरकार ने कौड़ियों के दाम में अपने मित्रों को ये जमीनें देकर इस तरह के रिजॉर्ट बनाए हैं। समय-समय पर, वहाँ पर जब भी आवश्यकता पड़ेगी, केन्द्र सरकार अपनी पावर का यूज़ करते हुए, उनका मार्गदर्शन करेगी, इसका प्रावधान भी इस बिल में है ।... (व्यवधान)

राष्ट्रीय महत्त्व की जो परियोजनाएं हैं, विशेषकर एलएसी, बॉर्डर एरिया के विकास कार्य में तेजी लाने में यह बिल मदद करेगी।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट : चाहे रेल लाइनें हों या पब्लिक रोड्स हों, नेशनल सिक्युरिटी आदि के कार्य करने में भी यह बिल हमें मदद करेगी।... (व्यवधान)

सर, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि सहमति के साथ यह बिल पारित हो ।... (व्यवधान)

सर, मैं एक मिनट और लूँगा । मुझे बहुत ही दुख और खेद के साथ यह विषय आपके सामने रखना पड़ रहा है कि मणिपुर मेरी जन्मभूमि है ।... (व्यवधान) आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की जनता इस सदन से अपेक्षा करती है कि कोई ठोस चर्चा हो और उनको समाधान मिले।... (व्यवधान) जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इससे मणिपुर की जनता के ऊपर और चोट पहुंच रही है। आज 60 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं और अलग-अलग शिविरों में रह रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग कृपया नारे मत लगाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग व्यवस्था का पालन कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय अध्यक्ष 10 दिनों के भीतर कोई भी दिनांक तय कर सकते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि अन्य विषयों के ऊपर विचार करने की गुंजाइश है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया संक्षेप में उत्तर दें।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या बोलना चाहती हैं, उन्हें पहले बोल लेने दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती भावना गवली जी, आप अपनी बात केवल दो मिनटों में बहुत ही संक्षेप में पूरी करें।

… (व्यवधान)

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): माननीय सभापति जी, आपने मुझे वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं शिवसेना पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ।

माननीय सभापति जी, यह स्पष्ट है कि उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और कई क्षेत्रों की मांग है कि वन-भूमि पर बदलाव लाए जाएं, इसके लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी है। वर्ष 1980 का अधिनियम गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन-भूमि के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध निर्देशित करता है। यह विधेयक, अधिनियम के दायरे में वन-भूमि को शामिल करने और उससे बाहर करने के मानदंडों को संशोधित करता है। यह उन वन गतिविधियों की सूची के अन्दर आता है, जिन्हें वन-भूमि पर अनुमति दी जाएगी।

माननीय सभापति जी, मैं बहुत संक्षिप्त में यहां पर बोलना चाहूंगी। … (व्यवधान) वन मंजूरी में देरी का बड़ा हिस्सा राज्य स्तर पर जो देरी होती है, उसका भी है। … (व्यवधान) लगभग 51 सीमा सड़क परियोजनाएं वन मंजूरी के कारण प्रलंबित हैं। … (व्यवधान) इनमें से 29 राज्य सरकार के पास प्रलंबित हैं। … (व्यवधान) मई, 2023 तक अनुमोदित की गई पहले चरणों के लिए लंबित सभी मंजूरी के लिए 2,235 आवेदनों में से 1,891 आवेदन राज्य सरकार के अधिकारियों के पास प्रलंबित हैं। … (व्यवधान) यह बहुत गंभीर बात है। … (व्यवधान) अगर हम विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कुछ बदलाव करने बहुत जरूरी हैं। … (व्यवधान)

सभापति जी, मैं यहां एक बहुत बड़ा विषय रखना चाहती हूं। … (व्यवधान) बहुत सालों से हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में एक झुड़पी जंगल है, जहां हजारों-लाखों हैक्टेयर जमीन पड़ी हुई है। … (व्यवधान) वहां केवल छोटे-छोटे पौधे हैं, पेड़ नहीं हैं। … (व्यवधान) वहां ऐसी बंजर भूमि पड़ी हुई है, जहां फॉरेस्ट बनाए जाएं। … (व्यवधान) वहां फॉरेस्ट की बढ़ोत्तरी की जाए या फिर वहां हम सोलर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। … (व्यवधान) सोलर प्लांट्स लगाने से यह होगा कि वहां के किसानों को या जो भी कारखानेदार हैं, उनको भी उसका फायदा होगा। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती भावना गवली (पाटील) : सर, मैं सिर्फ एक ही मिनट लूंगी। … (व्यवधान) मैं यह बोलना चाहती हूं कि हमारे यहां राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 में वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस साहब, जो स्वयं विदर्भ से आते हैं, ने कुछ प्रस्ताव यहां भेजे थे, लेकिन उन पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। … (व्यवधान)

सर, मैं यह भी चाहती हूं कि जैसे राज्य सरकार की ईकला जमीन हस्तांतरित होती है, उसमें हमारे किसान पानी के लिए पाइपलाइन डालते हैं, लेकिन फॉरेस्ट अधिकारी वहां जाकर उसे निकालने का काम करते हैं। … (व्यवधान) यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसानों को राहत नहीं मिल रही है। … (व्यवधान) मैं एक उदाहरण और बताना चाहती हूं। … (व्यवधान) मुझे एक मिनट और दीजिए। … (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में एक गांव है, मेरे यहां फॉरेस्ट एरिया का ज्यादा क्षेत्र है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह सब बाद में बोलिएगा।

… (व्यवधान)

श्रीमती भावना गवली (पाटील) : वहां जो गांव हैं, वहां रास्ता बनाने की, रोड बनाने की परमीशन तो मिलती है … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकृत हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय दिनांक तय करने वाले हैं। आप सब तब अपनी बात रखिएगा। अभी आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विधेयक – वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखने का

अवसर प्रदान किया है। … (व्यवधान) हम सब जानते हैं कि भारत ने दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में अपने देश के हिसाब से लक्ष्यों को तय करने और उन्हें पूरा करने का जो संकल्प लिया है, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वह उस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। … (व्यवधान)

हमने एनडीसी के तीन लक्ष्य तय किए हैं। … (व्यवधान) विशेष रूप से क्वान्टिटेटिव और पांच क्वालिटेटिव लक्ष्य तय किए हैं। … (व्यवधान) मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि तीन में से दो लक्ष्यों को भारत ने समय से नौ साल पहले प्राप्त किया है। … (व्यवधान) जो हमारा तीसरा लक्ष्य है, वह देश के कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। … (व्यवधान) उसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहां एग्रो फॉरेस्ट्री, ट्री कवर, वानिकी को बढ़ाया जाए, ताकि परिस्थितिक तंत्र को, पर्यावरणीय सुरक्षा को, बायोडायवर्सिटी को मजबूत किया जा सके। … (व्यवधान) आज यह बिल उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाया गया है, जो दुनिया के लिए भी बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारे देश का संविधान बना, तब जो फॉरेस्ट का विषय था, वह राज्यों की सूची के अंतर्गत था। … (व्यवधान) बाद में इसको केंद्र की सूची में लाया गया और अब यह विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। … (व्यवधान) इसी के अंतर्गत वर्ष 1980 में फॉरेस्ट कनज़र्वेशन एक्ट आया। … (व्यवधान) परिस्थिति तब पैदा हुई, जब सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 1996 के निर्णय में यह कहा गया कि फॉरेस्ट का अर्थ dictionary meaning of forest होगा। इसे dictionary meaning of forest करने से, जो एक बहुत बड़ी विसंगति पैदा हुई, वह यह थी कि जो ऐसी भूमि थी, जो राजस्व भूमि के रूप में अंकित थी, लेकिन जहां पर फॉरेस्ट विद्यमान थे, सरकारी बिल्डिंग और स्कूल जैसी चीजें विद्यमान थीं, वे फॉरेस्ट के दायरे में आईं और वहां पर सारा विषय और विकास रुक गया।

मैं यह पूछना चाहूँगा कि झारखंड में फॉरेस्ट की ऐसी राजस्व भूमि के रूप में दर्ज कोई विद्यालय है और लड़कियों का विद्यालय है तो वहाँ पर बिना परमीशन के शौचालय भी नहीं बना सकते थे।… (व्यवधान) अतएव हमारे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो पब्लिक यूटिलिटी के,

विकास के कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए इस बिल को अब समयानुकूल बनाने के लिए संशोधन किया जा रहा है।… (व्यवधान) मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि आपकी अध्यक्षता में ही संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर विचार किया है ।… (व्यवधान) संयुक्त संसदीय समिति में 1309 के करीब इसके अंतर्गत ज्ञापन आए ।… (व्यवधान) जो संयुक्त संसदीय समिति बनी, उसने देश के विभिन्न भागों में जाकर दौरा किया ।… (व्यवधान) विशेष रूप से हमारे देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ जाकर दौरा किया ।… (व्यवधान) देश का एक बड़ा क्षेत्र, जहाँ पर हमारा जनजाति समाज रहता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म से जो पीड़ित क्षेत्र है, वहाँ जाकर उसका दौरा किया।… (व्यवधान) वहाँ जाने के बाद एक ही विषय ध्यान में आया कि वहाँ पर जो अंतिम स्तर पर आदमी रहता है, उस तक विकास की धारा को पहुँचाने के लिए, उस तक सड़क पहुँचाने के लिए, उस तक सम्मानजनक जीवन को पहुँचाने के लिए जिस संशोधन की आवश्यकता थी, उस संशोधन को इसमें करने का लक्ष्य तय किया गया है ।… (व्यवधान)

महोदय, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि वर्ष 1980 के बाद हमारे देश में जो वन भूमि को परिवर्तित किया गया है, उसके लिए हमने कंपनसेटरी अफारेस्टेशन के विषय को रखा है।
… (व्यवधान) यह कंपनसेटरी अफारेस्टेशन देश के कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसका विनियमन करने के लिए केंद्र सरकार को पर्याप्त निर्देश देने के जो अधिकार हैं, उनको इस बिल में लाने के लिए प्रावधान किया गया है ।… (व्यवधान) इसलिए मैं इस बिल की कुछ मुख्य विशेषताओं को आपके सामने रखना चाहूँगा ।… (व्यवधान) सबसे पहली विशेषता यह है कि हमने इस बिल का नाम अब 'वन संरक्षण एवं संवर्धन विधेयक' रखा है।… (व्यवधान) इस बिल का जो प्राथमिक उद्देश्य है, वह देश के वनों का संरक्षण, देश की जैव विविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियाँ हैं, उससे निपटने के लिए देश का जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको मजबूत करने के लिए हम इसमें संशोधन लेकर आए हैं।… (व्यवधान) इसलिए देश का जो यह बिल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हमारे देश का बिल देश की जनता की भाषा के नजदीक हो ।… (व्यवधान) इसलिए हमने अंग्रेजों के किए हुए 'फॉरेस्ट' वर्ड को त्यागकर

इसका नाम ही 'वन संरक्षण और संवर्धन विधेयक' किया है, जो देश के सभी लोगों की मूल भाषाओं के नजदीक है।... (व्यवधान)

दूसरा, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो लैंड डायवर्जन का विषय है, उसमें जो भूमि है, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो अस्पष्टताएं हैं, उनको दूर करने का काम किया है।... (व्यवधान)

महोदय, आपके ध्यान में है कि आज भारत के बॉर्डर के क्षेत्र में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं, उनकी रणनीति को, जो सुरक्षा संबंधी विषय हैं, उनको दूर करने के लिए वहाँ पर हमें सड़कों का जाल बिछाना बहुत आवश्यक है।... (व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों लद्दाख में चुशूल तक के एरिया में जाकर आए।... (व्यवधान) वहाँ लगभग माइनस डिग्री तापमान में भी हमारे सेना के जवान तैनात रहते हैं।... (व्यवधान) हमने अनेक कारणों से, वहाँ तक सड़कें, जो आवागमन के साधन हैं, वहाँ तक आने-जाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है।... (व्यवधान)

एक और विषय है, जो सार्वजनिक सड़कें हैं या रेलवे के किनारे जो छोटे प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों को भी सुविधा देने का विषय इसमें किया गया है।... (व्यवधान) एक जो तीसरा विषय देश में है, हम लोगों ने सामाजिक वानिकी को बढ़ाया है।... (व्यवधान) सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट क्षेत्र में फॉरेस्ट लगाने से डरते हैं।... (व्यवधान) उनको लगता है कि अगर प्राइवेट क्षेत्र में हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो कल को हम उसको काट नहीं पाएंगे।... (व्यवधान) इस देश में हम जो बहुत बड़ा इम्पोर्ट करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम बाहर से टीक और वुड का बहुत बड़ा इम्पोर्ट करते हैं।... (व्यवधान) हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में 'अगर' जैसा एक बहुत बढ़िया पेड़ मिलता है, जिसके अंतर्गत लोगों के विकास की संभावनाएं हैं।... (व्यवधान) इन क्षेत्रों में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बिल के अंदर हम परिवर्तन लेकर आए हैं।... (व्यवधान) इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अधिक गतिविधियों में वन संरक्षण के लिए वानिकी गतिविधियों के अंतर्गत श्रेणी को बढ़ाने का काम किया है।... (व्यवधान) जब तक हम फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में श्रेणी को

बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तब तक फॉरेस्ट्री के माध्यम से हम ज्यादा विकास के विषयों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।... (व्यवधान)

महोदय, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी और निजी, दोनों संस्थाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों में हमने एकरूपता लाने का प्रयास किया है।... (व्यवधान) हमें पता है कि विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण बहुत विषयों पर, जैसे भूकम्प के क्षेत्रों का सर्वे कराने के लिए, जमीन के नीचे सम्पदा का सर्वेक्षण कराने के लिए तथा जो अन्य सर्वे भी करने पड़ते हैं, उन्हें समायोजित करके देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है।... (व्यवधान) हम पहले न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णयों में जो हस्तक्षेप देखते थे, उसका कारण था कि वर्ष 1980 का जो फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, उसमें सरकार को सुनिश्चित तरीके से निर्देश देने का अधिकार नहीं था। उन अधिकारों को देने का भी हमने काम किया है।... (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देश के लिए एक बड़ा माइल स्टोन साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि निजी भूमि पर हम फोरेस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, उसे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।... (व्यवधान)

महोदय, आज देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एरिया है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में, जहां नक्सलियों ने इतना अंदर तक कब्जा किया है, जहां हम कोई विकास नहीं कर सकते हैं। हम बिना परमिशन के वहां चीजें नहीं ले जा सकते हैं।... (व्यवधान) हम जानते हैं कि हमारे ट्राइबल बंधुओं को स्कूल चाहिए, उन्हें सड़क चाहिए, उन्हें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें चाहिए, उन्हें रास्ता देकर विकास और सम्मानपूर्ण जीवन देने का काम इस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद हम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण सीमा वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा से दो किलोमीटर दूरी के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं की और सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए दस हेक्टेयर तक की भूमि की छूट से देश के अग्रिम क्षेत्र में विशेष रूप से रणनीतिक और बुनियादी ढांचे में देश में एक नई मजबूती प्रदान करने का काम करेगा।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, इस विधेयक में हम वाणिज्यिक संचालन, निगरानी, पर्यवेक्षण और जंगल की आग जैसे विषयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो वन्य जीव हैं, जो एनडेंजर्ड स्पीशीस हैं, उन्हें अलग से रेस्क्यू सेंटर्स, जो फोरेस्ट के पास का एरिया है, वहां बनाने जैसे विषयों को भी हमने इसके अंतर्गत चिह्नित किया है। यह बिल दूरगामी परिवर्तनों को लेकर आ रहा है। समय-समय पर इसे बार-बार रेखांकित किया गया है, इसीलिए सरकार ने इस बिल को सदन में लाने से पहले जॉइंट पार्लियामेंटेरी कमेटी को दिया और जॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में सभी दलों के सांसद उपस्थित थे।… (व्यवधान) मैं बधाई देना चाहूंगा कि जॉइंट पार्लियामेंटेरी कमेटी ने सरकार के बिल को एज़ इट इज स्वीकार करते हुए सदन में पेश किया है। जॉइंट पार्लियामेंटेरी समिति के सभी सदस्यों की जो अनुशंसा है, उसे समिति की जो परम्परा है, उसके आधार पर व्यापक विचार-विमर्श करके, स्टेक होल्डर्स से बात करके, सरकार से बात करके, विभाग से बात करके, ट्राइबल्स से बात करके**,** सीमावर्ती क्षेत्रों से बात करके एक व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से समिति ने जो अनुशंसा दी है, वह विधेयक के रूप में है।… (व्यवधान)

मैं आप सभी से यह प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित करके देश के ट्राइबल्स को, देश की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पीड़ित हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए देश के कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए, एनडीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, एग्रो फोरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए और देश के विकास के लिए प्रधान मंत्री जी के अमृत भारत के विजन को बढ़ाने के लिए इस बिल को सर्वसम्मिति से पारित करें। धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय आप अपनी सब बातें रख सकते हैं। अभी इस प्रकार का हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आदरणीय भर्तृहरि महताब जी।

… (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.

I have two specific questions for the Minister to answer. One is regarding the uncertainty that surrounds the treatment of unclassed forest. जो अनक्लास्ड फोरेस्ट की सराउंडिंग है, वह इस बिल के आने के बाद भी अनसर्टेन ही बनी रहेगी। इसे ठीक करने के लिए क्या इसमें संशोधन करेंगे?

My second question is this. This Bill is in conflict with the Forest Rights Act. उसके बारे में यदि मंत्री जी कुछ प्रकाश डालें तो समझने में आसानी होगी।

माननीय सभापति : रितेश जी, क्या आप कुछ कहेंगे?

बहुत छोटा-सा, संक्षेप में कहिए।

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदय, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि जो डी-फॉरेस्टेशन होगा, उसको कार्बन-सिंक बनाने के लिए, कार्बन को कैप्चर करने के लिए जो नुकसान होने जा रहा है, उसके बारे में सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है?… (व्यवधान)

दूसरा, इसमें जो जनजातियां रहती हैं, भारत में वनों के ऊपर निर्भर जो जनजातियां हैं, उनका बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है क्योंकि उनके संरक्षण क्षेत्रों को उनके अधिकारों से बाहर कर दिया जा रहा है।… (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं और हमारा जो श्रावस्ती क्षेत्र है, वहां तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, जो वनों के अन्दर रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से वन क्षेत्र में नदी-नालों की ज्यादातर भरमार है, उसकी शील्ड की सफाई के ऊपर भी सरकार विशेष ध्यान दे।… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय सभापति महोदय, हमारे बसपा के सदस्य ने जो पहला विषय उठाया है, वह पूरे तरीके से गलत है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।… (व्यवधान) इस प्रकार का कोई भी प्रावधान, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को निकालने का प्रावधान इस बिल के अन्दर नहीं है, बल्कि जहां पर पब्लिक प्लेसेज के लिए जो चीजें चाहिए, उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है।… (व्यवधान) जिसे 70 सालों में इन्होंने नहीं किया, इस बिल के माध्यम से उसे हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं।… (व्यवधान)

भर्तृहरि जी ने जो विषय उठाया है, विशेष रूप से अन-स्पेसिफाइड फॉरेस्ट का, सरकारी रिकॉर्ड्स में जो दर्ज फॉरेस्ट है, वह ऑलरेडी फॉरेस्ट के रूप में दर्ज है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की आवश्यकता नहीं है।… (व्यवधान)

दूसरा, जो कम्पेनसेटरी फॉरेस्टेशन और जो एनपीवी के प्रावधान हैं, वे पूरे तरीके से रहेंगे और मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बिल का और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का किसी भी प्रकार का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि दोनों एक-दूसरे को सप्लिमेंट करने का ही काम करते हैं ।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

Clause 3 Amendment of section 1

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Insertion of New section 1A

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 से 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Amendment of section 2

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 से 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकृत हुआ है। उस पर चर्चा करते समय प्रत्येक विषय पर आप अपना विषय रख सकते हैं। आप शांतिपूर्वक अपने विषय को रखिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : हाउस को चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

14.41 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 27, 2023/Sravana 5, 1945 (Saka).

______

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)